

बिहार सूचना का अधिकार से संबंधित विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पत्रांक	दिनांक	पृष्ठ सं.
1.	बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006	6161	28.06.2006	1-5
2.	बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009	12522	19.11.2009	6-8
3.	सूचना का अधिकार से संबंधित	7199	26.07.2010	9
4.	बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013	8230	24.05.2013	10
5.	सूचना का अधिकार से संबंधित	2819	27.03.2006	11
6.	सूचना का अधिकार से संबंधित	1116	31.01.2007	12
7.	जानकारी पोर्टल के माध्यम से शुल्क की कटौती से संबंधित	6550	08.05.2012	13
8.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम)	22	15.06.2005	14-46
9.	सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (केन्द्रीय अधिनियम)	43	01.08.2019	47-48
10.	सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2019 (केन्द्रीय नियम)	635	24.10.2019	49-55

1

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 28.06.2006

संख्या-8/सू.अ.-15-02/2006का.-6161/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (22वाँ 2005) की धारा-27 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है -

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ:-** (1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ:-** (1) इन नियमों में, जब तक प्रसंग अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम सं.-22, 2005),
(ख) 'आयोग' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत गठित बिहार राज्य सूचना आयोग,
(ग) 'प्रपत्र' से अभिप्रेत है इस नियमावली में अनुलग्न प्रपत्र,
(घ) 'फीस' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ अनुलग्नक परिशिष्ट-1 में निर्धारित दर, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अलग से अधिसूचना द्वारा पुनर्निर्धारित कर सकेगी।
(ङ) 'लोक सूचना पदाधिकारी' से अभिप्रेत है राज्य लोक सूचना पदाधिकारी जो अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(1) के अधीन पदनामित है और इसमें अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन पदनामित राज्य सहायक लोक सूचना पदाधिकारी भी शामिल है।
(च) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
(छ) 'जानकारी' कॉल सेंटर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है।***
(2) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं, लेकिन परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

3. **सूचना प्राप्त करने के निमित्त आवेदन :-** (1) जो व्यक्ति सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, प्रपत्र 'क' में निहित फीस के साथ अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी (अथवा विनिर्दिष्ट कॉल सेंटर)* को आवेदन देंगे। आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की रसीद प्रपत्र 'ख' में दी जाएगी। जहाँ नकद-प्राप्ति रसीद-उपलब्ध है, वहाँ फीस का नकद रूप में भुगतान किया जाएगा अथवा डिमांड ड्राफ्ट या

* For A.P. 15-02, 2006, Draft: बिहार सरकार द्वारा अधिनियम 2005 (22वाँ 2005) के अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है -

1. * अधिसूचना सं.-1051 दि. 25.01.07 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. * अधिसूचना सं.-1165 दि. 30.01.08 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. * अधिसूचना सं.-12522 दि. 19.11.09 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2)

भुगतान आदेश [या पोस्टल ऑर्डर]** या नन-जुडिशियल स्टाम्प [अथवा इलेक्ट्रॉनिकली इनेवल्ड मीडियम]* के रूप में भुगतान किया जाएगा ।

(2) (i) आवेदक को राज्य सरकार के द्वारा विहित आवेदन फीस एवं शुल्क देनी होगी:

परन्तु यह कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन भेजता है तो आवेदन देने के सात दिनों के अन्दर फीस वन भुगतान करना होगा, अन्यथा आवेदन वापस ले लिया गया समझा जाएगा ।

(ii) राज्य लोक सूचना पदाधिकारी प्रपत्र 'ग' में राज्य सरकार द्वारा विहित अन्य फीस एवं शुल्क के बारे में भुगतान के लिए आवेदक को सूचित करेगा । [जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सक्षम माध्यम से आवेदन किया जाएगा, वहाँ भुगतान भी इलेक्ट्रॉनिक सक्षम माध्यम अथवा नियम में विनिर्दिष्ट अन्य माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।]*

[सकत शुल्क जमा करते समय आवेदक स्वपता लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा । यदि किसी आवेदक ने स्वपता लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नहीं संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा ।]**

परन्तु यह कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, परिवारों से कोई फीस एवं शुल्क भुगतान नहीं होगा, बशर्त कि ऐसा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे होने से संबंधित कार्ड का सत्यापित प्रति अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी या संबंधित अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी द्वारा प्रदत्त गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे ।

[परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना निःशुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रसारित की जायेगी ।]***

(iii) शुल्क एवं फीस के रूप में प्राप्त राशि को वित्त विभाग द्वारा विहित प्राप्ति शीर्ष में जमा कर दिया जाएगा ।

[3. (क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग-अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग आवेदन करें ।]***

E:\sharmendra\Section-08\Ramashish\8-Sec-Adh-15-02-2006-Book.doc

1. *अधिसूचना सं-1051 दि. 25.04.07 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. **अधिसूचना सं-1165 दि. 30.01.08 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3. ***अधिसूचना सं-12522 दि. 19.11.09 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. आवेदन पत्र का निष्पादन:- (1) लोक सूचना पदाधिकारी, सूचना के लिए आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर प्रपत्र 'घ' में सूचना उपलब्ध करायेगा अथवा अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर उसी प्रपत्र 'घ' में सूचित करेगा ।

परन्तु यह कि माँगी गयी सूचना के अधिनियम की धारा-8 एवं 9 के तहत छूट (मुक्त) होने के कारण सूचना नहीं दिये जाने का कारण लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा आवेदक को संसूचित किया जाएगा;

परन्तु यह और कि जहाँ माँगी गई सूचना व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है वहाँ लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना, आवेदन-प्राप्ति के अड़तालीस घंटों के अन्दर देनी होगी ।

(2) अगर माँगी गई सूचना लोक सूचना पदाधिकारी जिसे आवेदन दिया गया है, के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है तो वह ऐसे आवेदन को प्रपत्र-‘ख’ में संबंधित लोक प्राधिकार/लोक सूचना पदाधिकारी को आवेदन प्राप्ति के पाँच दिनों के अन्दर हस्तांतरित करेगा और इसकी सूचना आवेदक को देगा ।

((3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसी मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसी यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से सबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करे ।

(7) 'जानकारी' कॉल सेन्टर द्वारा प्राप्त कोई आवेदन यदि किसी ऐसे लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित किया जाता है और वह आवेदन वास्तव में किसी अन्य लोक सूचना पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को समस्त लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा। ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा।***

5. फीस की दरें:- वांछित सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त करने के लिए फीस की दरें एवं अन्य शुल्क वही होंगी जो परिशिष्ट-1 में निर्धारित है। राज्य सरकार उक्त फीस एवं शुल्क को समय-समय पर राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना के तहत परिशिष्ट-1 में संशोधन द्वारा पुनर्निर्धारित कर सकेगी।

6. अपील:- (1) लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 'घ' एवं 'च' में दिये गये निर्णय से विक्षुब्ध अथवा कोई भी निर्णय नहीं दिये जाने पर विक्षुब्ध व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकार के समक्ष निर्णय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति की तिथि के 30 दिनों के अन्दर प्रपत्र 'छ' में अपील कर सकेगा।

(2) उप नियम-(1) में अपीलीय प्राधिकार के आदेश से भी विक्षुब्ध आवेदक अपीलीय प्राधिकार के आदेश की प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों के अंदर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील निम्नलिखित ब्यौरा के साथ कर सकेगा।

- (i) आवेदक का नाम और पता
- (ii) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम और कार्यालय पता
- (iii) संख्या, तिथि और उस आदेश का विस्तृत ब्यौरा, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील दायर किया जाता है
- (iv) द्वितीय अपील के लिए संक्षिप्त ग्रन्थ
- (v) अपील का आधार
- (vi) अपीलकर्ता के द्वारा सत्यापन
- (vii) ऐसी कोई सूचना जिसे आयोग अपील में निर्णय के लिए आवश्यक समझे।
- (3) आयोग के समक्ष दायर की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित अभिलेख

सहायन किमे जायेगे:-

- (i) आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील दायर की जाती है, तथा
- (ii) उन अभिलेखों की सूची व सत्यापित प्रतियाँ जिन्हें अपीलकर्ता ने अपील में सहित किया हो तथा अपील के लिए निम्नपर निर्भर है।
- (4) अपील में निर्णय के क्रम में आयोग
- (i) शपथ अथवा शपथ-पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य ले सकेगा;

E:\Charmendra\Section-08\Ramashish\8-Suo-Adi-15-02-2006-Book.doc

1. *अधिसूचना सं.-1051 दि. 25.01.07 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. **अधिसूचना सं.-1165 दि. 30.01.08 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. ***अधिसूचना सं.-12522 दि. 19.11.09 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ii) अभिलेख का मूल्यांकन कर सकेगा;
 - (iii) अधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से विस्तृत ब्यौरा अथवा सत्यता की जाँच कर सकेगा;
 - (iv) लोक सूचना पदाधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकार, जिसने प्रथम अपील की सुनवाई की है, को सम्मन कर सकेगा;
 - (v) किसी तृतीय पक्ष की सुनवाई कर सकेगा, तथा
 - (vi) लोक सूचना पदाधिकारी अथवा विभागीय अपीलीय प्राधिकार जिसने प्रथम अपील की सुनवाई की, से आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा ।
- (5) आयोग निम्नलिखित में से किसी तरीके से नोटिस का तामिला करेगा,
- (i) संबंधित व्यक्ति/पक्षकार/आवेदक के ही द्वारा तामिला;
 - (ii) प्राप्ति-रसीद लेकर हाथों-हाथ;
 - (iii) देय पावती के साथ निबंधित डाक से;
 - (iv) विभागाध्यक्ष अथवा इसके अधीनस्थ कार्यालय के माध्यम से ।
- (6) अपील के सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग खुली कार्यवाही में अपना निर्णय सुनाएगा और लिखित आदेश निर्गत करेगा जो रजिस्ट्रार अथवा आयोग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा ।

7. अभिलेखों का संधारण:- (1) लोक सूचना पदाधिकारी सूचना के लिए प्राप्त आवेदन और सूचना देने के लिए प्राप्त फीस से संबंधित अभिलेखों का संधारण करेगा ।

(2) विभागीय अपीलीय प्राधिकार प्राप्त सभी अपील और उसके निष्पादन से संबंधित अभिलेख संधारित करेगा ।

(3) आयोग प्राप्त सभी अपील एवं उराव निष्पादन से संबंधित अभिलेख संधारित करेगा ।

8. प्रकीर्ण:- इस नियमावली के तहत विहित किये गये प्रपत्रों को किसी प्राधिकृत पूर्व मुद्रित लेखन सामग्री में होना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी फॉरमेट में साफ-टंकित, हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जिसमें सभी आवश्यक वितरणी का समावेश प्रयत्नानुसार रहे, में मान्य होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अस्पष्ट)

सरकार के उप सचिव ।

(6)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 19.11.2009

संख्या-8/सू.अ.-15-02/2006का. 12522/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम 22, 2005) की धारा-27 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 में संशोधन के लिए निम्नांकित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

(1) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 कही जा सकेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम-2 [यहाँ इसके बाद 'मुख्य नियमावली' के रूप में संदर्भित] का संशोधन :-

मुख्य नियमावली के नियम-2 में खण्ड-(च) के बाद एक नया खण्ड-(छ) जोड़ा जाएगा :-

खण्ड-(छ) जानकारी कॉल सेन्टर से अभिप्रेत है राज्य सरकार का एक पहल, जिसके माध्यम से दूरभाष/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी से सूचना माँगी जा सकती है ।

3. मुख्य नियमावली के नियम-3 का संशोधन :-

(1) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-(2) के खंड(ii) के परन्तुक के पहले निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा:-

(iii) उक्त शुल्क जमा करते समय आवेदक स्वयं लिखित एवं डाक टिकट (सामान्य डाक, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट) सटा हुआ लिफाफा भी लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित करेगा। यदि किसी आवेदक ने स्वयं लिखित एवं डाक टिकट सटा हुआ लिफाफा नहीं संलग्न किया है तो इस आधार पर उसका आवेदन अस्वीकृत नहीं होगा । ✓

(2) मुख्य नियमावली के नियम-3 के उप नियम-2 के खण्ड-(ii) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित द्वितीय परन्तुक जोड़ा जाएगा :-

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार के ऐसे व्यक्तियों को मात्र 10 (दस) पृष्ठों तक की सूचना नि:शुल्क दी जा सकेगी और 10 पृष्ठों से ज्यादा होने पर नियमानुसार शुल्क प्रभारित की जायेगी ।

मुख्य नियमावली के नियम-3 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा :-

3. क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग-अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग आवेदन करें ।

5. मुख्य नियमावली के नियम-4 में उप नियमों का जोड़ा जाना :-

मुख्य नियमावली में नियम-4 में उप नियम (2) के बाद नियम जोड़ा जाएगा :-

(3) केवल ऐसी सूचना प्रदान की जाएगी जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो ऐसे मामले में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण का अंतरित कर देगा और इसकी सूचना आवेदक को भी देगा । यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण या लोक सूचना पदाधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो वह आवेदक को सूचित कर देगा कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में, लोक सूचना पदाधिकारी उपलब्ध सूचना दे देगा तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित लोक प्राधिकरण के पास शेष भाग की सूचना प्रदान करने के लिए भेज देगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना माँगता है जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है तो ऐसी स्थिति में, आवेदन प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का लोक सूचना पदाधिकारी अपने से संबंधित सूचना दे देगा तथा साथ ही आवेदक को सलाह देगा कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग-अलग आवेदन करे ।

7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एकमात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग-अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

पदाधिकारी से संबंधित होता है, तो प्राप्तकर्ता लोक सूचना पदाधिकारी उस आवेदन को सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत जैसा आवश्यक हो, निष्पादन हेतु स्थानांतरित कर देगा। ऐसे मामलों में प्रथम बार आवेदन प्राप्त करने वाला लोक सूचना पदाधिकारी सूचना देने हेतु उस आवेदन के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नहीं समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

[Signature]
19/11/09

(सरयुग प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का 12522 / पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना बिहार को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी मुद्रित 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को सुलभ कराने हेतु प्रेषित।

[Signature]
19/11/09

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का 12522 / पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के सचिव/उप मुख्य मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव, मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सचिव, बिहार सूचना आयोग तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
19/11/09

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का 12522 / पटना-15, दिनांक 19.11.2009

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा, पटना तथा सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना को एक सी0डी0 तथा दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
19/11/09

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-8/सू.अ.-15-02/2006का 12522 / पटना-15, दिनांक 2009

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक 17.11.09 की मद संख्या-18 द्वारा स्वीकृति के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
19/11/09

सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या-8/सू.आ.-10-15/2010सा. 7199 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सरभुग प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग ।
सभी विभागाध्यक्ष ।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त ।
सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 26 जुलाई, 2010

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत एक विषय से संबंधित सूचना माँगने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा माँगी जाने वाली 'सूचना' का आकार एवं प्रकार पूर्ण रूप से अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित नहीं है । भारत सरकार द्वारा निर्गत 'गाइड' में सूचना को संक्षिप्त एवं विशिष्ट रूप से परिभाषित करते हुए उसे एक विषय से संबंधित बताया गया है ।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2009 के नियम-4 में सूचना को एक विषय से संबंधित तथा एक सौ पचास शब्दों के अन्दर निम्न प्रकार से निरूपित किया गया है :-

"3. क. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना के लिए लिखित अनुरोध एक मात्र विषय से संबंधित होगा और यह सामान्यतया एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा । यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयों पर सूचना चाहता हो तो वह अलग-अलग आवेदन सक्षम लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दे सकता है ।

परन्तु यह कि यदि एक से अधिक विषयों से संबंधित सूचना के लिए अनुरोध किया जाता है तो लोक सूचना पदाधिकारी प्रथम विषय मात्र से सूचना देगा और आवेदक को परामर्श देगा कि अन्य विषयों में से प्रत्येक के संबंध में अलग-अलग आवेदन करें । "

3. सम्प्रति 'सूचना' के विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का विषय से तात्पर्य अनुकम्पा, प्रोन्नति, नियुक्ति, निश्चित विकास योजना आदि अलग-अलग विषयों से हैं । यदि विभिन्न कंडिकाओं में माँगी गयी सूचना का विषय एक ही लोक प्राधिकार से संबंधित हो तो उसे आवेदक को उपलब्ध कराया जाय । उक्त स्पष्टीकरण में माँगी गई सूचना में शब्दों की संख्या की सीमा एक सौ पचास बनी रहेगी ।

कृपया इसे अधीनस्थों को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रारूप
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

संख्या-21/रा0सू0आ0-03/2013सा0प्र0...../ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (केन्द्रीय अधिनियम, 22,2005) की धारा-27 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 [समय-समय पर यथा संशोधित] का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-
 - (i) यह नियमावली बिहार सूचना का अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (iii) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 के नियम 6 (2) का प्रतिस्थापन।-
उक्त नियमावली, 2006 का नियम-6 (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-
“(2) उप नियम (1) में अपीलीय प्राधिकार के आदेश से व्यथित आवेदक उस तिथि से, जिस तिथि को विनिश्चय किया जाना चाहिए था या आदेश की प्राप्ति की तिथि से 90(नब्बे) दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील निम्नलिखित ब्यौरा देते हुए कर सकेगा :-
 - (i) आवेदक का नाम और पता ;
 - (ii) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम और कार्यालय पता ;
 - (iii) संख्या, तिथि और उस आदेश का विस्तृत ब्यौरा, जिसके विरुद्ध द्वितीय अपील दायर किया गया हो, यदि कोई हो ;
 - (iv) द्वितीय अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य ;
 - (v) अपील के आधार ,
 - (vi) अपीलकर्ता के द्वारा सत्यापन ;
 - (vii) ऐसी कोई सूचना जिसे आयोग अपील के निर्णय के लिए आवश्यक समझे ।”

परंतु यथा स्थिति राज्य सूचना आयोग 90 (नब्बे) दिन की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील दायर करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(वशिष्ठ सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक-21/रा0सू0आ0-03/2013 सा0प्र0. 8230/पटना-15, दिनांक 24/5/13

प्रतिलिपि, ई0 गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में एक सी0डी0 के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापाक: 21/रा0सू0आ0-03/2013 सा0प्र0. 8230/पटना-15, दिनांक 24/5/13

प्रतिलिपि, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमाणिकीय आयुक्तों तथा सभी जिला पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(11)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 27 मार्च, 2006

संख्या-8/सूअं-15-01/2006 कां-2819/सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6 एवं 7 के तहत वांछित सूचना एवं कागजात उपलब्ध कराने हेतु निम्न प्रकार से शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

- | | |
|---|--|
| 1. धारा 6(1) तहत सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क | 10/- (दस) रुपये प्रति आवेदन |
| 2. धारा-7 (1) के तहत: | 2/- (दो) रुपये प्रति पृष्ठ |
| (क) सूचना उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक शुल्क (ए-4 एवं ए-3) साईज कागज पर | |
| (ख) बड़ा साईज कागज पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु | बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय |
| (ग) नमूना (Sample or Model) | वास्तविक व्यय की राशि । |
| (घ) फ्लॉपी एवं सीडी में सूचना उपलब्ध कराने हेतु | 50/- (पचास) रुपये प्रति फ्लॉपी अथवा सीडी होगा । |
| 3. अभिलेखों के निरीक्षण हेतु (धारा 7 (5) के तहत) | पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं होगा । उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/- (पाँच) रुपये की दर से शुल्क देय होगा । |
| | नोट :- जहाँ पर पूर्व से अभिलेख निरीक्षण की व्यवस्था है, ऐसे मामले में पूर्व से निर्धारित दर लागू रहेगी । |
| 4. अपीलीय प्राधिकार के सहित पर अपील दायर करने हेतु आवेदन | 50/- (पचास) रुपये प्रति अपील । |

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापक:-8/सूअं-15-01/2006 कां-2819/पटना-15, दिनांक- 27 मार्च, 2006

प्रतिलिपि - सभी आयुक्त एवं सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

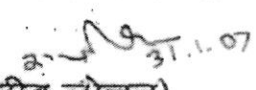
अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 31-1-07

संख्या-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या--2819 दिनांक 27.03.2006 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 एवं 7 के तहत वांछित सूचना एवं कागजात उपलब्ध कराने हेतु शुल्क निर्धारित किये गये थे। उक्त अधिसूचना की कंडिका-4 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क को निम्नवत् संशोधित करते हुए निर्धारित किया जाता है :-

1.	4. अपीलीय प्राधिकार के सतह पर अपील दायर करने हेतु आवेदन	10/-रु. (दस रूपया): प्रति अपील।
----	---	---------------------------------

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

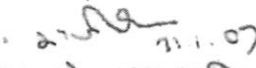

(राजीव लोचन)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31-1-07

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इसकी दो सौ प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31-1-07

प्रतिलिपि:- सभी आयुक्त एवं सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-8/सु0अ0-15-01/06का0 1116 /पटना-15, दिनांक 31-1-07

प्रतिलिपि:- सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उपर्युक्त अधिसूचना को राज्य के प्रमुख हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित करने की कृपा करेंगे।





बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 197) पटना, बृहस्पतिवार, 10 मई 2012

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

8 मई 2012

सं0 08/सू0अ0 15-03/07 सा0प्र0-6550—विभागीय अधिसूचना सं0-1116, दि0 31.01.2007 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार के सतह पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क 10/- (दस) रुपये प्रति अपील निर्धारित है। "जानकारी" के वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन प्रथम व द्वितीय अपील दायर करने के लिए 10/- (दस) रुपये प्रति अपील शुल्क की कटौती करने के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

नवीन चन्द्र झा,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 197-571+50-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

(15 जून, 2005)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तदायित्व के संबंधन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है; और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवतः अन्य लोक हितों, जिनके अंतर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है।

अतः अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए, जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1**प्रारम्भिक**

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

संक्षिप्त नाम
विस्तार
और प्रारंभ

परिभाषाएं

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27 और धारा 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) "समुचित संस्कार" से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो—

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें ऐसी सभा हैं, की दशा में अध्यक्ष, और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) "सूचना" से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज,

ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से -

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है

और इसके अंतर्गत,-

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित है-

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ज) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है-

- (i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
- (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;
- (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
- (iv) डिस्कट, फ्लोपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को जहाँ ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना :
- (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;
- (ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;
- (ड) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;
- (ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है।

अध्याय-2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

- सूचना का अधिकार 3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।
- लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं 4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—
- (क) अपने 'सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;
 - (ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर—

- (i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;
- (ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
- (iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है;
- (iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;
- (v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;
- (vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण;
- (vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है;
- (viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;
- (ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
- (x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथाउपबोधित हो;
- (xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए सवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकरण को आवंटित बजट;
- (xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;
- (xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;
- (xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों;
- (xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध

सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियाँ की विरचना करते समय या ऐसे विनिर्देशों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर वह प्रयास होगा कि वह उपधारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अंतरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो।

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उसे क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप में पहुंच योग्य होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण- उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए "प्रसारित" से सूचना पट्टों समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है।

लोक सूचना
अधिकारियों
का पदनाम

5.(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अविनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एकाईयों या उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों

के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा:

परंतु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी।

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(5) कोई अधिकारी जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

सूचना अभिप्राप्त
करने के लिए
अनुरोध

6.(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा :

परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके।

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण की या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) जहां, कई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है—

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:

परंतु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किंतु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

7.(1) धारा 5 की उपधारा (2) के परंतुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त करने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथासंभवशीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे फीस के संदाय पर जो विहित की जाए या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परंतु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुरोध का
निपटारा।

(2) यदि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को—

(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस तीन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है। विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसे व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदक उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(2) यदि, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है।

(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को—

(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस तीन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी है। विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए कोई संसूचना भेजेगा।

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसे व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है संवेदनात्मक रूप से निःशक्त है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता कराना भी सम्मिलित है जो समुचित हो।

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूपविधान में उपलब्ध कराई जानी है वहां आवेदक उपधारा (6) के अधीन रहते हुए ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए :

परंतु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने से पूर्व यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा।

(8) जहां, किसी अनुरोध की उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को—

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;

(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और

(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, संसूचित करेगा।

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्रोतों को अनुपाली रूप में विचलित न करता हो य प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो।

सूचना के प्रकट
किए जाने से
छूट।

8.(1) इसे अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी—

(क) सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध

सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना, जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रदर्शन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं;

परंतु यह कि मंत्रिपरिषद के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे :

परंतु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ज) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परंतु ऐसी सूचना के लिए, जिसको यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है।

1923 का 19

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना वृत्त या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार।

पृथक्करणीयता।

9. धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन अंतर्वलित करेगा।

10.(1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक् की जा सकती है।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए आवेदक को एक सूचना देगा कि—

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है, पृथक् करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अंतर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगणित फीस के व्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अंतर्गत यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ

अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है।

पर व्यक्ति
सूचना।

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का, इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप से सूचना देगा कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना, अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिए पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकट के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा:

परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोक हित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त करने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है।

अध्याय-3

केन्द्रीय सूचना आयोग

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

केन्द्रीय सूचना
आयोग का
गठन।

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री।

स्पष्टीकरण- शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और, वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी सभी कार्य और बात कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है।

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

पदावधि और
ग्रहण

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

13. (1) सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद सूचना करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद-धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(30)

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं:

परंतु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे सराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, कम को कम कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परंतु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(6) केन्द्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए मुख्य सूचना सूचना आयुक्त आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित या मुख्य कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा सूचना आयुक्त जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर का हटाया जाना जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राष्ट्रपति, उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त का जिसके विरुद्ध उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त-

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) यह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अवमता अन्तर्वर्लित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी सविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य के रूप में जो अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय-4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन 15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं।

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी-

- (i) मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा;
- (ii) विधानसभा में विपक्ष का नेता; और
- (iii) मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य।

स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधानसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा।

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकती है।

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। पदावधि और सेवा की शर्तें।

परंतु कोई राज्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष के अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परंतु वह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा:

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें-

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की है।

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है:

परंतु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन,

34

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त-

- (क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या
- (ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अक्षमता अंतर्वर्तित है; या
- (ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या
- (घ) राज्यपाल की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बैठे रहने के अयोग्य है; या
- (ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी सविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कंपनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

अध्याय-5

सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ

18.(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे-

सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य

- (क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक

अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशि किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है रकम को कम कर दिया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां संख्या मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

परंतु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सूचना के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्त ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

राज्य मुख्य
सूचना आयुक्त
और राज्य
सूचना आयुक्त
का हटाया जाना

17.(1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उस किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् वह रिपोर्ट दी हो कि यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध भी कर सकेगा।

सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(2) जहां यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को यह समाधान हो सकता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है वहां वह इसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा।

1909 का 5

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को इस बात के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं अर्थात्-

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना या शपथ पर मौखिक या लिखित समय देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(4) यथास्थिति, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

सूचना

✓ 19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परंतु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी :

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका वह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है-

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं-

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्त्रियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना।

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति, केन्द्रीय, लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जान-बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

शास्ति।

परंतु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा।

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जान-बूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक
की गई
कार्रवाई के
लिए संरक्षण

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

अधिनियम का
अध्यारोही
प्रभाव होना।

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का 19 1923 और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उसके असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होंगे।

न्यायालयों की
अधिकारिता
का वर्जन।

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का
कतिपय
संगठनों को
लागू न होना।

24. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी :

परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, मानीटर करना प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान और रिपोर्ट इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा, और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा-

- (क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;
- (ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध, जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गए थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;
- (ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की निर्दिष्ट की गठी अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;
- (घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;
- (ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए प्रश्नों का स्थान;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से उपधारा (1) में निर्दिष्ट यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधानमंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधानमंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिए किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। 26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक-

(क) जनता की, विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खण्ड (क) में निर्विष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर

सकेगी। और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी।

(2) समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है।

(3) समुचित सरकार यदि आवश्यक हो तो उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नम्बर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार जिनके अंतर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसलों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त

(46)

करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र।

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

27. (1) समुचित सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

- (क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;
- (ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;
- (ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;
- (घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;
- (ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (च) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियम बनाने की समक्ष प्राधिकारी 28. (1) समक्ष प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।
समक्ष प्राधिकारी को शक्ति।

(2) विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्—

- (i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;
- (ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;
- (iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस; और
- (iv) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

नियमों का
रखा जाना।

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तथापि उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को
दूर करने की
शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उसे कठिनाई को दूर करने लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों;

परंतु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन।

31. सूचना स्वातंत्र्य अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया 2002 का 5 जाता है।

पहली अनुसूची

[धारा 13 (3) और धारा 16 (3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना
आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने
वाली शपथ या किए जाने वाले
प्रतिज्ञान या प्ररूप

“मैं जो

मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ।

द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।”

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खण्ड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्थापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत-तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी.), अंडमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा सी.आई.डी.- सीबी, दादरा और नागर हवेली
18. विशेष शाखा लक्षद्वीप पुलिस।

टी०के० विश्वनाथन

सचिव, भारत सरकार

MGIPMRND-3308 G OF 1-28-10-2005



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 2019/श्रावण 10, 1941 (सक)

No. 43] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 2019/SHRAVANA 10, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 1st August, 2019/Shravan 10, 1941 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st August, 2019, and is hereby published for general information:—

THE RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) ACT, 2019

No. 24 of 2019

[1st August, 2019.]

An Act to amend the Right to Information Act, 2005.

Enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Right to Information (Amendment) Act, 2019.

Short title and
commencement.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

22 of 2005.

2. In the Right to Information Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 13,—

Amendment
of section 13.

(a) in sub-section (1), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner or the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

Amendment
of section 16.

3. In section 16 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "for a term of five years from the date on which he enters upon his office", the words "for such term as may be prescribed by the Central Government" shall be substituted;

(c) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be such as may be prescribed by the Central Government:

Provided that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment:

Provided further that the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners appointed before the commencement of the Right to Information (Amendment) Act, 2019 shall continue to be governed by the provisions of this Act and the rules made thereunder as if the Right to Information (Amendment) Act, 2019 had not come into force."

Amendment
of section 27.

4. In section 27 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ca) the term of office of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners under sub-sections (1) and (2) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners under sub-sections (1) and (2) of section 16;

(cb) the salaries, allowances and other terms and conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners under sub-section (5) of section 13 and the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners under sub-section (5) of section 16;"

DR. G. NARAYANA RAJU,
Secretary to the Govt. of India.

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 24, 2019/कार्तिक 2, 1941
No. 635] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2019/KARTIKA 2, 1941

कार्यिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर, 2019

सा.का.नि. 810(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (गक) और खंड (गख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तों) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अध्याय II

2. परिभाषाएँ—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय सूचना आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;

(ग) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में उसका है;

(घ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है;

(ङ) "राज्य सूचना आयोग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (ट) में उसका है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय III

केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

3. पदावधि- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

4. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना- यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा।

5. वेतन — (1) मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(3) यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

(4) यदि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

6. मंहगाई भत्ता — यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

7. छुट्टी - (1) यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त उतनी छुट्टी के अधिकारों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत है।

(2) मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति होंगे और सूचना आयुक्तों की दशा में मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

8. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के समय उसके खाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा।

परंतु, यथास्थिति, ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था, ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समय-समय पर यथापुनरीक्षित समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अधधीन होगी।

9. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

10. आवास सुविधा—(1) यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, उपलब्धता के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बिहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पून आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।

(2) जहां मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

11. छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता- यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार में समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निर्बंधन और कर्तें

12. पदावधि-यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा।

13. नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत्त होना- यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा में निवृत्त समझा जाएगा।

14. वेतन- (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपये) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

(3) यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति का पदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

(4) यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वाभिमत्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा।

15. भंगवाई भत्ता - यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय-समय पर यथा पुनरीक्षित भंगवाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

16. छुट्टी - (1) यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त उतनी छुट्टी के अधिकारों का हकदार होगा जो राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पदधारण करने वाले किसी अधिकारी के लिए स्वीकृत है।

(2) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की दशा में छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उस राज्य का राज्यपाल होगा और राज्य सूचना आयुक्तों की दशा में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।

17. अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के बबले नकद संदाय- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, पदावधि पूरी होने के समय उसके छाते में जमा अर्जित छुट्टी का पचास प्रतिशत नकदीकरण का हकदार होगा।

परंतु, यथास्थिति, ऐसे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के लिए, जो यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पहले केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा से निवृत्त हो गया था, ऐसी कुल अवधि, जिसके लिए वह अनुपयोजित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण का हकदार होगा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समय-समय पर यथापुनरीक्षित समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथास्वीकृत अधिकतम अवधि के अध्याधीन होगी।

18. चिकित्सा सुविधा- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम में यथा उपबंधित चिकित्सीय उपचार और चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे और ऐसे स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम प्रवर्तन में नहीं है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्चा) नियम, 1944 में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा।

19. आवास सुविधा - (1) यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, उपलब्धता के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दरों पर लाइसेंस फीस के संदाय पर राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय प्रकार के साधारण पूल आवास सुविधा से शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा।

(2) जहां, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उपनियम (1) में निर्दिष्ट साधारण पूल आवास सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है या वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहा है वहां उसे राज्य सरकार में समान वेतन वाला पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर मकान किराया भत्ते का संदाय किया जा सकेगा।

20. छुट्टी यात्रा रियासत, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता- यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, राज्य सरकार में समान वेतन वाला पदधारण करने वाले किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियासत, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को यथाशक्य लागू हकदार होगा।

अध्याय V

21. अवशिष्ट उपबंध- मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों की ऐसी सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की जाएंगी और इस पर केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पर, राज्य सूचना आयोग के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त पर आबद्धकर होंगे।

22. शिथिल करने की शक्ति- केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को किसी वर्ग या प्रवर्ग में व्यक्तियों के संबंध में शिथिल करने की शक्ति होगी।

23. निर्वचन- यदि इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 1/5/2019-आईआर]

लोक रंजन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2019

G.S.R. 810(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (ca) and (cb) of sub-section (2) of section 27 of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Right to Information (Term of Office, Salaries, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of Chief Information Commissioner, Information Commissioners in the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners in the State Information Commission) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER II

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005);

(b) "Central Information Commission" shall have the same meaning assigned to it under clause (b) of section 2 of the Act :

- (c) "Chief Information Commissioner" and "Information Commissioner" shall have the same meaning assigned to it under clause (d) of section 2 of the Act;
- (d) "State Chief Information Commissioner" and "State Information Commissioner" shall have the same meaning assigned to it under clause (l) of section 2 of the Act;
- (e) "State Information Commission" shall have the same meaning assigned to it under clause (k) of section 2 of the Act.
- (2) The words and expressions used and not defined under these rules, but defined in the Act shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER III

TERM OF OFFICE, SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND INFORMATION COMMISSIONER IN THE CENTRAL INFORMATION COMMISSION

3. **Term of office.**—The Chief Information Commissioner, or Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.
4. **Retirement from parent service on appointment.**—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Chief Information Commissioner or an Information Commissioner in the Central Information Commission.
5. **Pay.**—(1) The Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,50,000 (Rupees two lakh and fifty thousand) (fixed) per mensem.
- (2) An Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.
- (3) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity;
- (4) In case the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his pay in respect of the service as the Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.
6. **Dearness Allowance.**—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government, as revised from time to time.
7. **Leave.**—(1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government, as revised from time to time.
- (2) In case the Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the President of India and in case of the Information Commissioners, the Chief Information Commissioner shall be the competent authority.
8. **Cash Payment in lieu of unutilised Earned Leave.**—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at the time of completion of tenure:

Provided that for a Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, as the case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a Chief Information Commissioner and Information Commissioner, as the case may be, the aggregate period for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State Government, as the case may be, as revised from time to time.

9. **Medical Facilities.**—The Chief Information Commissioner and Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the Chief Information Commissioner and Information Commissioner shall be entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944.

10. **Accommodation.**—(1) The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be eligible subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by Central Government from time to time.

(2) Where Chief Information Commissioner or an Information Commissioner is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government.

11. **Leave Travel Concession, Travelling Allowance, Daily Allowance.**—The Chief Information Commissioner or Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to leave travel concession, travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government as far as may be, apply to the Chief Information Commissioner and Information Commissioner, as the case may be.

CHAPTER IV

TERM OF OFFICE, SALARIES, ALLOWANCES AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE INFORMATION COMMISSIONERS IN THE STATE INFORMATION COMMISSION

12. **Term of office.**—The State Chief Information Commissioner, or State Information Commissioners, as the case may be, shall hold office for a period of three years from the date on which he enters upon his office.

13. **Retirement from parent service on appointment.**—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, who on the date of his appointment to the Commission, was in the service of the Central or a State Government, shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in the State Information Commission.

14. **Pay.**—(1) The State Chief Information Commissioner shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(2) The State Information Commissioners shall receive a pay of Rs. 2,25,000 (Rupees two lakh and twenty five thousand) (fixed) per mensem.

(3) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment is, in receipt of any pension, the pay of such State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity.

(4) In case the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, at the time of his appointment, is in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits.

15. **Dearness Allowance.**—The State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to draw dearness allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

16. **Leave.**—(1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to rights of leave as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

199
55

(2) In case of the State Chief Information Commissioner, the competent authority to sanction the leave shall be the Governor of the State and in case of the State Information Commissioners, the State Chief Information Commissioner shall be the competent authority.

17. Cash Payment in lieu of unutilized Earned Leave.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to encashment of fifty per cent. of earned leave to his credit at the time of completion of tenure:

Provided that a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, who had retired from the service of the Central or a State Government prior to appointment as a State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners respectively, the aggregate period for which the encashment of unutilised earned leave shall be entitled shall be subject to a maximum period as per admissibility to an officer holding a post carrying the same pay in the Central Government or the State Government, as the case may be, as revised from time to time.

18. Medical Facilities.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical treatment and Hospital facilities as provided in the Central Government Health Scheme and at places where the Central Government Health Scheme is not in operation, the State Chief Information Commissioner and State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to medical facilities as provided in the Central Service (Medical Attendance) Rules, 1944 or such medical facilities provided by the State Government to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government, as revised from time to time.

19. Accommodation.—(1) The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be eligible subject to availability, to the use of official residence from the general pool accommodation of the type as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government on the payment of the license fee at the rates prescribed by State Government from time to time.

(2) Where State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, is not provided with or does not avail himself of the general pool accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid House Rent Allowance at the rate admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government.

20. Leave Travel Concession, Travelling Allowance, Daily Allowance.—The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners, as the case may be, shall be entitled to leave travel concession, travelling allowance and daily allowance as admissible to an officer holding a post carrying the same pay in the State Government as far as may be, apply to the State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners.

CHAPTER V

21. Residuary Provision.—The conditions of service of the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioners for which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decisions and the decisions of the Central Government thereon shall be binding on the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner of the Central Information Commission, State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner of the State Information Commission.

22. Power to relax.—The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

23. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of any of the provisions of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

[F. No. 1/5/2019-IR]

LOK RANJAN, Addl. Secy.